



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 07.08.2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अमित पुत्र रणदेव निवासी पट्टी गोपी ग्राम बावली में बने रिहायसी मकान कीमत लगभग 17.55 लाख रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 07.08.2022 को थाना बडौत पुलिस द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1121/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमित पुत्र रणदेव निवासी ग्राम बावली पट्टी गोपी थाना बडौत जनपद बागपत की ग्राम बावली में स्थित रिहायसी भूमि 154.53 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 17.55 लाख रुपये है को कुर्क/जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी बडौत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया । अभियुक्त अमित शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके विरुद्ध चोरी, हत्या का प्रयास, अवैध शस्त्र, गैंगस्टर एक्ट आदि के करीब 18 अभियोग दर्ज है । अभियुक्त अमित थाना बडौत का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है । जिसका हिस्ट्रीशीट नम्बर-979A है ।



अभियुक्त अमित का आपराधिक इतिहास:-(H.S NO- 979A)-

1. मु0अ0सं0 603/20 धारा 307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

2. मु0अ0स0 847/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. मु0अ0स0 882/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. मु0अ0स0 922/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
5. मु0अ0स0 952/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
6. मु0अ0स0 964/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
7. मु0अ0स0 965/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
8. मु0अ0स0 967/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
9. मु0अ0स0 968/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
10. मु0अ0स0 969/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
11. मु0अ0स0 1121/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
12. मु0अ0स0 1370/17 धारा 411/414 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
13. मु0अ0स0 862/16 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
14. मु0अ0स0 971/16 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
15. मु0अ0स0 972/16 धारा 414/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
16. मु0अ0स0 11/21 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
17. मु0अ0स0 60/21 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
18. मु0अ0स0 61/21 धारा 414 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 07.08.2022

थाना रमाला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम किरठल में बने मकान कीमत लगभग 02.84 लाख रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 07-08-2022 को थाना रमाला जनपद बागपत पुलिस द्वारा थाना रमाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 136/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त आकाश पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत की ग्राम किरठल में स्थित रिहायसी भूमि 43.70 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 02.84 लाख रुपये है को कुर्क/जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी बडौत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। अभियुक्त आकाश शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके विरुद्ध लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट आदि के करीब 10 अभियोग दर्ज है।



अभियुक्त आकाश पुत्र इकबाल उर्फ बाला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 208/20 धारा 379/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।

2. मु0अ0सं0 373/20 धारा 420/411/414 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 374/20 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 177/21 धारा 392/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 204/21 धारा 392/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
6. मु0अ0सं0 364/21 धारा 392 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
7. मु0अ0सं0 459/21 धारा 379/ भादवि थाना कांधला जनपद शामली ।
8. मु0अ0सं0 207/21 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।
9. मु0अ0सं0 149/21 धारा 307,506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
10. मु0अ0सं0 136/22 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 07.08.2022

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 110/22 धारा 147/307/323/504/506/336 भादवि व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.08.2022 को थाना बालैनी पुलिस को गस्त/ भ्रमण के दौरान सूचना दी कि ग्राम औंगटी में दो पक्ष आपस में गाली-गलौच कर अपने हाथों में लाठी डण्डे लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं । सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे जहा पर दोनों पक्ष एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे । समझाने

पर नहीं माने और एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से पथराव कर लाठी-डण्डों से मारपीट करने लगे । जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गये । इस सम्बन्ध में थाना बालैनी



पर मु0अ0सं0 110/22 धारा 147/307/323/504/506/336 भादवि व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम में पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए थाने के मु0अ0सं0 110/22 धारा 147/307/323/504/506/336 भादवि व धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- अनुज पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम औंगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. पंकज पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम औंगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
3. रामकुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम औंगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
4. हरेन्द्र पुत्र सेन्सरपाल निवासी ग्राम औंगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
5. आदित्य पुत्र सुरजीत निवासी ग्राम औंगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
6. योगेन्द्र पुत्र सूबे सिंह निवासी ग्राम औंगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 71 लक्ष्मीनारायण थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3- का0 418 परमजीत थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4- का0 980 अरविन्द कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 5- का0 484 अरुण कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 6-का0 958 रामनरेश थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 07.08.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 197/2022 धारा 376DA भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 197/2022 धारा 376DA भादवि व 3/4 (2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्त सचिन व बिजेन्द्र को घटनास्थल ग्राम शाहजहाँपुर से जनता के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सचिन पुत्र चन्द्रवीर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-बिजेन्द्र पुत्र समेरु निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि0 श्री देवन्द्र कुमार थाना दोघट
- 2-उपनि0 श्री नत्थुलाल थाना दोघट



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 07-08-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 52/22 धारा 406/420/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 19.01.2022 को मा0 न्यायालय सीजेएम बागपत महोदय के आदेशानुसार आवेदक श्री रोहित गोयल पुत्र रामवतार गोयल निवासी मण्डी आनन्द गंज कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण 1.वकीला पत्नी राशीद त्यागी, 2.राशीद त्यागी पुत्र इब्राहिम, 3.सावेज त्यागी पुत्र राशीद त्यागी निवासीगण निवासी ग्राम औढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा साज करके कपटपूर्ण तरिके से धोखाधडी करके फर्जी कागजात तैयार करके वादी एवं उसके साथियो से मकान का बैनामा करने के नाम पर 22,50,000/ रूपये लेना तथा ना तो वादी के नाम बैनामा करना और रूपये वापस मांगने पर रूपये ना देना व वादी के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 52/22 धारा 406/420/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 52/22 धारा 406/420/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- राशीद त्यागी पुत्र इब्राहिम त्यागी निवासी ग्राम औढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0- श्री शिवदत्त सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का0 1085 आशीष यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 07.08.2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मोनू उर्फ सुमित पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2. ओकीन पुत्र जयपाल निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2- है0का0 71 लक्ष्मीनारायण थाना बालैनी जनपद बागपत ।

- 3- का0 418 परमजीत थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 4- का0 980 अरविन्द कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 5- का0 958 रामनरेश कुमार , थाना बालैनी जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनाँक 07.08.2022

थाना चांदीनगर बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 156/22 धारा 307/323/504/506/34 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 22.07.2022 को थाना चांदीनगर पर वादी सूरजवली पुत्र गोकल ने सूचना दी कि उसके पड़ोस में रहने वाले अंकित, गौरव, रोहताश, कर्मवीर निवासीगण ग्राम मंसूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने एक साथ मिलकर गाली-गलौज व मारपीट करते हुए उसके भतीजे विपिन पुत्र ओमपाल को जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया, बचाने आये वादी व उसके भाई ओमपाल के साथ गाली-गलौज, मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 156/22 धारा 307/323/504/506/34 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 156/22 धारा 307/323/504/506/34 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रोहताश पुत्र लख्खी निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री जनार्दन प्रसाद थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2- का0 745 गुलवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।